विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 11 अगस्त, 2009 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 35वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की पैतीसवीं (35वीं) बैठक श्री राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 11 अगस्त, 2009 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 577 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 325 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इस अल्प अवधि के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 1,16,879 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 4, 27,908 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष की पहली पहली तिमाही के दौरान, एसईजेड से लगभग 39,411 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है।

अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विशेष रूप से यूनिट स्तर पर अपेक्षित अनुमोदन प्रदान करने में विलंब को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने अनुरोध किया कि विकास आयुक्तों को नियमित आधार पर यूनिट अनुमोदन समिति की बैठकें बुलानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि विलंब न हो। इसके अलावा, शक्तियों के प्रत्यायोजन की किसी आवश्यकता के मामले में उपयुक्त निर्णय के लिए यह वाणिज्य विभाग को सौंपा जा सकता है। नेमी स्पष्टीकरणों के अभाव में निर्णय लेने की प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। विकास आयुक्तों को अपने अपने क्षेत्र में एसईजेड के विकास से संबंधित गतिविधियों के लिए पूर्णत: जिम्मेदार होना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास प्रक्रिया में पूरी तरह सहायता प्रदान की जाती है।

मद संख्या 35.1 : अधिकृत गतिविधियों आदि जैसे मामलों पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की एक उप समिति को शक्तियों का प्रत्यायोजन

राजस्व विभाग ने ऐसी उप समिति के गठन पर अपनी असहमति व्यक्त की, जिसकी गतिविधि मुख्य रूप से अनुमोदन बोर्ड के कार्यों की द्विरावृत्ति तक सीमित होगी। उन्होंने बताया है कि सह विकासकों, क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती, सेक्टर में परिवर्तन आदि के लिए प्रस्ताव इस कार्यालय को तभी भेजे जाते हैं जब वे अनुमोदन बोर्ड की बैठक के लिए एजेंडा में शामिल होते हैं। कई बार सूचना एवं दस्तावेज अधूरे भी होते हैं। इसलिए, प्राप्ति के तुरंत बाद तथा अनुमोदन बोर्ड के सचिवालय द्वारा समुचित जांच के बाद इस कार्यालय को ऐसे प्रस्ताव भेजकर ऐसे अनुमोदनों में विलंब से बचना उपयुक्त होगा ताकि उसकी जांच की जा सके तथा अपेक्षित होने पर अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान तथ्यों / निर्णय को समुचित रूप से समझने के लिए दस्तावेज, स्पष्टीकरण या सूचना मंगाई जा सके।

अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि ऐसे मुद्दे हैं जिनको अनुमोदन बोर्ड तक लाने की आवश्यकता नहीं होती है तथा उनको समिति द्वारा आसानी से निपटाया जा सकता है। विलंब से बचने के लिए यह व्यवस्था काफी उपयोगी होगी। तद्नुसार, सुझाव दिया गया कि अपर सचिव (डीकेएम) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी ताकि कोई उपयुक्त समाधान निकाला जा सके।

मद संख्या 35.2 : डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की सूची में प्रस्तावित वृद्धि

अनुमोदन बोर्ड ने सूचियों पर विचार किया जिसमें एसईजेड के कामकाज में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से डिफाल्ट प्रचालनों की वृद्धि की जानी थी। तद्नुसार, एजेंडा के अनुबंध 2 के रूप में प्रस्तुत डिफाल्ट प्रचालनों की सूची पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने डिफाल्ट प्रचालनों की सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि फायर स्टेशन के संबंध में स्थानीय शासनों / राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो कि ये फायर स्टेशन निर्धारित अपेक्षित विनियमों का पालन करते हैं। इसके अलावा, कार्यालय स्थान तथा बैंकों के लिए स्थान के संबंध में विकास आयुक्तों को प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकास आयुक्त इनके अधिसूचित होने की तिथि से निम्नलिखित अतिरिक्त डिफाल्ट प्रचालनों का प्रचालन कर सकते हैं।

(क) सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं / ईएच एंड साफ्टवेयर, जैव प्रौद्योगिकी तथा रत्न एवं आभूषण विशेष आर्थिक क्षेत्र / हस्तशिल्प / सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड / एफटीडब्ल्यूजेड में

1. विकास आयुक्त के कार्यालय, सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए तैनात कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान
2. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
3. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें एवं अन्य निस्सारी शोधन के लिए अवसंरचना
4. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
5. खेल का मैदान
6. बस बे
7. वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं
8. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

(ख) क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र या एक या अधिक सेवाएं या किसी पोर्ट या एयरपोर्ट में

1. विकास आयुक्त के कार्यालय, सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए तैनात कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान

2. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
3. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
4. खेल का मैदान
5. बस बे
6. फायर स्टेशन बिल्डिंग्स
7. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
8. प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली

टिप्पणी : "आईटी / आईटीईएस / ईएचएस, जैव प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प क्षेत्र, सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा तथा 100 हेक्टेयर या अधिक के स्टैंड एलोन एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के लिए भी, उपर्युक्त दिशानिर्देश लागू होंगे।"

(ग) बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में

1. विकास आयुक्त के कार्यालय, सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए तैनात कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान
2. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
3. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
4. बस बे
5. फायर स्टेशन बिल्डिंग्स
6. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
7. प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
8. बैंकों के लिए स्थान
9. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं

मद संख्या 35.3 : "एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करना" के संबंध में पहले से अनुमोदित श्रेणियों में नई श्रेणी को शामिल करना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 15 जनवरी, 2009 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड निम्नलिखित श्रेणियों में अनुमोदनों के अंतरण / नाम में परिवर्तन के लिए कुछ दिशानिर्देशों को मंजूरी प्रदान कर चुका है।

(i) श्रेणी 1 - जहां नाम में एक से अधिक परिवर्तन हों तथा मूल विकासक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन न हो,

(ii) श्रेणी 2 - जहां अनुमोदन विकासक कंपनी के 100 प्रतिशत एसपीवी या पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को अंतरित किया गया हो,

(iii) श्रेणी 3 - मैसर्स बजाज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में न्यायालय के निर्णय को देखते हुए डिमर्जर,

(iv) श्रेणी 4 - जहां राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार या उसके किसी संगठन द्वारा आंशिक रूप से इक्विटी धारित की गई हो,

अनुमोदन बोर्ड ने पहले से अनुमोदित चार श्रेणियों की सूची में शामिल करने के लिए एक और नई श्रेणी को मंजूरी प्रदान करने का भी निर्णय लिया जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

(v) श्रेणी **5 -** जहां कम से कम **51** प्रतिशत इक्विटी मूल विकासक द्वारा धारित की गई है अर्थात जहां मूल विकासक का नियंत्रण अधिकार बना रहेगा।

मद संख्या 35.4 : एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों का अनुमोदन

राजस्व विभाग ने संबंधित विकास आयुक्तों को शक्तियों के प्रत्यायोजन पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए एक सकारात्मक सूची तैयार की जाएगी जिसे विकास आयुक्तों को प्रत्यायोजित करने पर विचार किया जा सकता है। जो प्रचालन सूची में शामिल नहीं है उनके संबंध में अनुमोदन बोर्ड निर्णय ले सकता है।

मद संख्या 35.5 : विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण के लिए दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड, मैसर्स रिलायंस यूटिलिटीज लिमिटेड और मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावों पर विचार किया। नोट किया गया कि अनुमोदन समिति द्वारा मैसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड को यूनिट के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है और इस प्रकार यह विद्युत दिशानिर्देशों के अंतर्गत शामिल है। जहां तक मैसर्स रिलायंस यूटिलिटीज लिमिटेड का संबंध है, चूंकि वे प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए उनको यूनिट के रूप में मानना चाहिए और विकास आयुक्त को तद्नुसार एलओए जारी करना चाहिए। मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में, विकासक प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिट के रूप में अनुमानित तौर पर क्षेत्रफल का ब्यौरा प्रदान करे ताकि वे काम करना शुरू कर सकें।

मद संख्या 35.6 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. बंगलौर, कर्नाटक में 11.39 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ब्रुक बांड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 35.6 - क्रमांक v) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बंगलौर, कर्नाटक में 11.39 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ब्रुक बांड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को भूमि के खाली होने की शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. शिमोगा, कर्नाटक में 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (कियोनिक्स) का अनुरोध (मद संख्या 35.6 - क्रमांक vii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने शिमोगा, कर्नाटक में 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (कियोनिक्स) के प्रस्ताव को अधिसूचना से पूर्व मैप तथा भूमि पर कब्जा / स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. रामदासपुर गांव, कटक जिला, उड़ीसा में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोलर एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 35.6 - क्रमांक vi) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि केवल आंशिक भूमि पर विकासक का कब्जा है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रामदासपुर गांव, कटक जिला, उड़ीसा में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सोलर एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ग) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. एर्नाकुलम, केरल में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट आधारित एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 35.6 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा निस्सारी के डिस्चार्ज को लेकर शिकायतें हैं और इस मुद्दे को केरल सरकार के साथ उठाया गया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने तथा केरल सरकार से जवाब की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम बाचूपल्ली, कुतबुल्लापुर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 12.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (डीआईएलएचएल) का अनुरोध (मद संख्या 35.6 - क्रमांक iii) :

3. ग्राम रुद्राम, पाटनचेरू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 35.95 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डेक्कन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (डीआईएलएचएल) का अनुरोध (मद संख्या 35.6 - क्रमांक iv) :

2 और 3 : अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अब तक विकासक को 14 अनुमोदन जारी किए गए हैं तथा वास्तव में इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई है। बेहतर होगा कि कोई और अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व मौजूदा अनुमोदनों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. कोयंबटूर, तमिलनाडु में 11.0388 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) का अनुरोध (मद संख्या 35.6 - क्रमांक vi) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने कब्जा / स्वामित्व के दस्तावेजों का अनूदित संस्करण प्रस्तुत नहीं किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.7 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की

कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 4.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संगत सुविधाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सप्तगिरी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में 4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड में यूनिटों / निवासियों / अन्य स्थापना को अतिथि सत्कार के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने तथा उक्त एसईजेड में अतिथि सत्कार परियोजना के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सप्तगिरी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्ताव पर बाद में उस समय विचार किया जाएगा जब अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सप्तगिरी हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड में यूनिटों / निवासियों / अन्य स्थापना को अतिथि सत्कार के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने तथा उक्त एसईजेड में अतिथि सत्कार परियोजना स्थापित करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सप्तगिरी हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

सह विकासक भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में अतिथि सत्कार परियोजना का विकास, प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करेगा तथा एसईजेड में यूनिटों / निवासियों / अन्य स्थापनाओं को अतिथि सत्कार के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अधिकृत प्रचालनों के लिए प्रस्ताव पर बाद में उस समय विचार किया जाएगा जब अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

(iv) डीएलएफ सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने डीएलएफ सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए आईटी / आईटीईएस एसईजेड में गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट स्थापित एवं संचालित करने के लिए सह उत्पादन संयंत्र के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए विद्युत दिशानिर्देशों के भी अधीन है।

(v) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसीस) द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा बेबांको डवलपर्स लिमिटेड (एमबीडीएल) का अनुरोध

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित आवासीय भवन खुली बिक्री के लिए हैं जो एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की भावना के खिलाफ है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को मुद्दे की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया जिसके आधार पर अनुमोदन बोर्ड निर्णय ले सकता है। तद्नुसार, बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(vi) पनवेल, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इक्सोरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने पनवेल, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए बहु सेवा एसईजेड में विद्युत वितरण अवसंरचना प्रदान करने के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स इक्सोरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(vii) मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 115.935 एकड़ के क्षेत्रफल में अधिकृत प्रचालनों के रूप में औद्योगिक शेड, ईटीपी प्लांट, सामूहिक शयन कक्ष, आवासीय भवनों, सड़क, पुलिया, पावर प्लांट आदि की डिजाइन, वित्त पोषण, निर्माण के लिए मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने मैसर्स ईटीएल

इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उतुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में विकसित किए गए वस्त्र एसईजेड में शुरू में 115.93.5 एकड़ के क्षेत्रफल में इन सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

(viii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सह विकासक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया।

(ix) अत्चुतपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा विकसित टेक्सटाइल एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अधिष्ठान इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अत्चुतपुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में विकसित किए गए वस्त्र एसईजेड में 99.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मनोरंजन की सुविधाओं के निर्माण एवं प्रबंधन के साथ आवासीय भवनों के निर्माण एवं उप पट्टा पर देने के लिए मैसर्स अधिष्ठान इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(x) मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए जीआईडीसी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में विकसित किए गए बहु उत्पाद एसईजेड में जलापूर्ति, भूमिगत ड्रेनेज तथा गार्ड पांड, सीवेज निस्तारण, आग रोकने की सुविधा तथा सामान्य सुविधा केन्द्र जैसी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जीआईडीसी के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xi) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं तथा 2.9 एकड़ के क्षेत्रफल में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में क्रेच के साथ 60 बिस्तर वाले

अस्पताल के निर्माण, स्थापना और प्रचालन के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.8 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित ईजीओएम बैठक द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-ए एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक की ओर से 6 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं जो समान हैं। इन प्रस्तावों में विकासक ने कनवेंशन सेंटर का प्रस्ताव किया है जिसे अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.		**अधिकृत प्रचालन**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**
1	**परिवहन अवसंरचना**			
	क	ट्रक टर्मिनल	2500 वर्गमीटर	--
	ख	बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर
	ग	पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)	2000 वर्गमीटर	2000 वर्गमीटर
	घ	कस्टम गेट कंप्लेक्स (500 वर्गमीटर के बाद)	1000 वर्गमीटर	--
	ड.	हेलीपैड - 1	--	15000 वर्गमीटर
	च	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	1

	छ	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	1	1
2		**विद्‌युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली :**		
	क	डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस	20 मेगावाट	10 मेगावाट
	ख	ईंधन प्रणालियां : कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा)	--	1 (विद्‌युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली के अंग के रूप में लिया गया)
3	**भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्‌ध सुविधाएं**			
	क	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	15000 वर्गमीटर	--
	ख	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	--	8000 वर्गमीटर
	ग	व्यवसाय / प्रदर्शनी केन्द्र	--	25000 वर्गमीटर
	घ	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	4000 वर्गमीटर	--

	ड.	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	300 वर्गमीटर	200 वर्गमीटर
	च	स्काईवाक	1300 वर्गमीटर	1200 वर्गमीटर
	छ	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	--	500 वर्गमीटर
	ज	डाक, तार घर	--	500 वर्गमीटर
	झ	बैंक / एटीएम	--	केवल बैंक / एटीएम के लिए स्थान अनुमोदित किया गया
	ञ	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	--	500 वर्गमीटर
	ट	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	--	2500 वर्गमीटर
4	**सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली**			
	क	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	105600 वर्गमीटर	105600 वर्गमीटर
	ख	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	3	3
	ग	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	घ	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1
5	क	इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	12043 वर्गमीटर	12043 वर्गमीटर

(ii) उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-ए एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.		**अधिकृत प्रचालन**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**
1	**परिवहन अवसंरचना**			
	क	ट्रक टर्मिनल	2500 वर्गमीटर	1500 वर्गमीटर
	ख	बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	900 वर्गमीटर	600 वर्गमीटर
	ग	पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)	3500 वर्गमीटर	2500 वर्गमीटर
	घ	कस्टम गेट कंप्लेक्स (500 वर्गमीटर के बाद)	1500 वर्गमीटर	--
	ड.	हेलीपैड - 1	--	15000 वर्गमीटर
	च	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	1
	छ	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	1	1
2	क	विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली : डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस	30 मेगावाट	20 मेगावाट
3	क	ईंधन प्रणालियां : कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा)	--	1
4	भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं			

	क	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	30000 वर्गमीटर	--
	ख	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	--	10000 वर्गमीटर
	ग	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा चौकियां	1000 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
	घ	व्यवसाय/ प्रदर्शनी केन्द्र	--	30000 वर्गमीटर
	ड.	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	8000 वर्गमीटर	--
	च	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	600 वर्गमीटर	400 वर्गमीटर
	छ	स्काईवाक	2600 वर्गमीटर	2400 वर्गमीटर
	ज	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	--	1000 वर्गमीटर
	झ	डाक, तार घर	--	1000 वर्गमीटर
	ञ	बैंक / एटीएम	--	केवल बैंक / एटीएम के लिए स्थान अनुमोदित किया गया
	ट	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	--	1000 वर्गमीटर
	ठ	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	--	5000 वर्गमीटर
5	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			
	क	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	200150 वर्गमीटर	182650 वर्गमीटर

	ख	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	3	3
	ग	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	घ	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1
6	क	इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	22816 वर्गफीट	20821 वर्गफीट

(iii) उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-सी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.		**अधिकृत प्रचालन**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**
1	परिवहन अवसंरचना			
	क	ट्रक टर्मिनल	1250 वर्गमीटर	750 वर्गमीटर
	ख	बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	350 वर्गमीटर	250 वर्गमीटर
	ग	पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)	1200 वर्गमीटर	800 वर्गमीटर
	घ	कस्टम गेट कंप्लेक्स (500 वर्गमीटर के बाद)	1000 वर्गमीटर	--
	ड.	हेलीपैड - 1	--	15000 वर्गमीटर
	च	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	1
	छ	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	1	1

2	क	विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली : डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस	20 मेगावाट	10 मेगावाट
3	क	ईंधन प्रणालियां : कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा)	--	1
4	भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं			
	क	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	8000 वर्गमीटर	--
	ख	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	--	4000 वर्गमीटर
	ग	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा चौकियां	300 वर्गमीटर	200 वर्गमीटर
	घ	व्यवसाय/ प्रदर्शनी केन्द्र	--	10000 वर्गमीटर
	ड.	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	2000 वर्गमीटर	--
	च	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	150 वर्गमीटर	100 वर्गमीटर
	छ	स्काईवाक	900 वर्गमीटर	400 वर्गमीटर
	ज	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	--	300 वर्गमीटर
	झ	डाक, तार घर	--	300 वर्गमीटर

	ञ	बैंक / एटीएम	--	केवल बैंक / एटीएम के लिए स्थान अनुमोदित किया गया
	ट	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	--	300 वर्गमीटर
	ठ	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	--	1200 वर्गमीटर
5	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां**,** अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			
	क	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	60200 वर्गमीटर	47500 वर्गमीटर
	ख	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	3	3
	ग	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	घ	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1
6	क	इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	6862 वर्गमीटर	5415 वर्गमीटर

(iv) कालंबोली, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-ए एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.		**अधिकृत प्रचालन**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**
1	परिवहन अवसंरचना			
	क	ट्रक टर्मिनल	(9000 वर्गमीटर)	(1000 वर्गमीटर)

	ख	बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	(11500 वर्गमीटर)	(3500 वर्गमीटर)
	ग	पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)	(60000 वर्गमीटर)	(20000 वर्गमीटर)
	घ	कस्टम्‍ गेट कंप्लेक्स (500 वर्गमीटर के बाद)	(3000 वर्गमीटर)	--
	ड.	हेलीपैड - 1	--	(15000 वर्गमीटर)
	च	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	1
	छ	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	4	1
2	निस्सारी / अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली			
	क	रिसाइकल ग्राउंड वाटर टैंक	--	(10000 घनमीटर)
	ख	रिसाइकल ग्राउंड वाटर के लिए पंपिंग स्टेशन	1	2
	ग	उपर्युक्त पंप हाउस के लिए पंपिंग स्टेशन तथा डिस्पोजल पाइप लाइनें	1	2
3	क	विद्‍युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली : डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस	(50 मेगावाट)	(10 मेगावाट)
4	क	ईंधन प्रणालियां : कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा)	--	3
5	भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्‍ध सुविधाएं			

	क	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	(75000 वर्गमीटर)	--
	ख	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	(16000 वर्गमीटर)	(4000 वर्गमीटर)
	ग	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा चौकियां	(1600 वर्गमीटर)	(400 वर्गमीटर)
	घ	व्यवसाय/ प्रदर्शनी केन्द्र	(50000 वर्गमीटर)	--
	ड.	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	(15000 वर्गमीटर)	--
	च	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	(1500 वर्गमीटर)	(500 वर्गमीटर)
	छ	स्काईवाक	(37500 वर्गमीटर)	(12500 वर्गमीटर)
	ज	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	(1500 वर्गमीटर)	(1500 वर्गमीटर)
	झ	डाक, तार घर	--	(5000 वर्गमीटर)
	ञ	बैंक / एटीएम	(1500 वर्गमीटर)	केवल बैंक / एटीएम के लिए स्थान अनुमोदित किया गया
	ट	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	(1000 वर्गमीटर)	(1000 वर्गमीटर)
	ठ	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	(7500 वर्गमीटर)	2500 वर्गमीटर
6	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			

	क	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	(1010000 वर्गमीटर)	(326200 वर्गमीटर)
	ख	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	14	3
	ग	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	घ	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1
7	क	इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	74500 वर्गफीट	--

(v) कालंबोली, नवी मुंबई में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.		**अधिकृत प्रचालन**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**
1	परिवहन अवसंरचना			
	क	ट्रक टर्मिनल	(10000 वर्गमीटर)	--
	ख	बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	(10000 वर्गमीटर)	(5000 वर्गमीटर)
	ग	पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)	(60000 वर्गमीटर)	(20000 वर्गमीटर)
	घ	कस्टम गेट कंप्लेक्स (500 वर्गमीटर के बाद)	(3000 वर्गमीटर)	--
	ड.	हेलीपैड - 1	--	(15000 वर्गमीटर)
	च	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	1
	छ	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं	3	2

		हार्डवेयर		
2	क	विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली : डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस	(50 मेगावाट)	(10 मेगावाट)
3	क	ईंधन प्रणालियां : कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा)	--	3
4	भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं			
	क	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	(75000 वर्गमीटर)	--
	ख	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	(16000 वर्गमीटर)	(4000 वर्गमीटर)
	ग	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा चौकियां	(1700 वर्गमीटर)	(300 वर्गमीटर)
	घ	व्यवसाय/ प्रदर्शनी केन्द्र	(50000 वर्गमीटर)	--
	ड.	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	(15000 वर्गमीटर)	--
	च	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	(1500 वर्गमीटर)	(500 वर्गमीटर)
	छ	स्काईवाक	(37500	(12500 वर्गमीटर)

			वर्गमीटर)	
	ज	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	(1500 वर्गमीटर)	(1500 वर्गमीटर)
	झ	डाक, तार घर	--	(5000 वर्गमीटर)
	ञ	बैंक / एटीएम	(1500 वर्गमीटर)	केवल बैंक / एटीएम के लिए स्थान अनुमोदित किया गया
	ट	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	(1000 वर्गमीटर)	(1000 वर्गमीटर)
	ठ	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	(7500 वर्गमीटर)	(2500 वर्गमीटर)
5	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			
	क	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	(1195900 वर्गमीटर)	(571200 वर्गमीटर)
	ख	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	14	3
	ग	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	घ	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1
6	क	इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	74500 वर्गफीट	--

(vi) द्रोणगिरि, नवी मुंबई में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**		**प्रसंस्करण क्षेत्र**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र**
1.	इंटरनेट सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं			
	क	डक्ट	(2591 किमी)	(2209 किमी)

	ख	ऑप्टिक फाइबर केबल	(49 किमी)	(41 किमी)
	ग	दूरसंचार, संचार, मीट मी रूम, प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी)	(5398 वर्गफीट)	
	क	एसईजेड विकास के लिए साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर (प्रचालन, नेटवर्किंग, प्रजेंटेशन टूल) (उदाहरण के लिए निर्माण, इंजीनियरिंग तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि)	(1 लाट)	(1 लाट)
	ख	ऑफिस आटोमेशन सिस्टम (उदाहरण के लिए नेटवर्किंग, लैन, वैन, पीसी, सर्वर, स्कैनर, प्लाटर आदि)	(648 प्रयोक्ता)	(552 प्रयोक्ता)
	ग	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए परामर्श सेवाएं तथा संचार सेटअप	(108 मानव माह)	(92 मानव माह)
	घ	इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	260000 वर्गफीट	--
	ड.	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए परामर्श सेवाएं तथा संचार सेटअप	(108 मानव माह)	(92 मानव माह)
2.	प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली			
	क	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	3	2
	ख	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	8	7
	ग	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	(1 लाट)	(1 लाट)
	घ	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	(1 लाट)	(1 लाट)
	ड.	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	(1 लाट)	(1 लाट)

(vii) बड़ोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग	13500	13500
2.	विद्‌युत (100 प्रतिशत डीजी बैकअप की सुविधाओं सहित)	कुल पावर - 66 केवीए (जीईबी सब स्टेशन)	कुल विद्‌युत - 66 केवीए (जीईबी सब स्टेशन)
3.	क्लब हाउस, इंडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	100	100
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	3000	3000
5.	निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं	--	--
6.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं	--	जहां तक एटीएम का संबंध है, केवल एटीएम के लिए स्थान अनुमोदित किया गया
7.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	--	--
8.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं	--	--

(viii) मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रेड्डी लैबोरेटरी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	प्रशासन भवन	2372	2372
2.	सेंट्रल वेयरहाउस	4800	4800
3.	क्रेच	200	200

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	कॉमन कैंटीन (500 लोगों के लिए किचन और डाइनिंग)	750	750
2.	लॉन्ड्री	400	400
3.	ओएचसी / प्राथमिक उपचार केन्द्र	300	300
4.	इलेक्ट्रानिक तोल सेतु	40 टन	40 टन
5.	कामर्सियल एंड शॉपिंग काम्प्लेक्स	2415	2415
6.	स्वास्थ्य देखरेख / 50 बिस्तर वाला अस्पताल	1800	1800
7.	अतिथि गृह	1400	1400
8.	क्रेच	250	250
9.	आवास (आवासीय फर्निश्ड बैचरलर एवं फेमिली आवास)	3400	3400
10.	प्रेक्षागृह	250	250
11.	ओपन एयर थिएटर	405	405
12.	मनोरंजन सह क्लब हाउस	1550	1550
13.	पार्किंग एरिया (मल्टी लेवल)	400	400
14*	हेलीपैड	--	अनुमोदित
	प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र		
15.	5 मीटर ऊंचे सुरक्षा टावर तथा फ्लड लाइटें, वाकी टाकी, केबिन	8	8

* अनुमोदन समिति द्वारा सामग्रियों की आवश्यकता अनुमोदित की जाएगी।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 27 (3) के अनुसरण में अनुमोदन के लिए प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए मदें / वस्तुएं

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	सुविधा में वस्तुओं / मदों की आवश्यकता	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	कॉमन कैंटीन (500 लोगों के लिए किचन और डाइनिंग)	कैंटीन फर्नीचर (125 सेट) किचन उपकरण (1 लाट)	750	750
2.	लॉन्ड्री	लॉन्ड्री उपकरण (1 लाट)	400	400
3.	ओएचसी / प्राथमिक उपचार केन्द्र	प्राथमिक उपचार / ओएचसी के लिए फर्नीचर (1 लाट)	300	300

(ix) नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्र	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	क्रेच	2750 वर्गफीट	2750 वर्गफीट
2.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं	250 वर्गमीटर	जहां तक एटीएम का संबंध है, केवल एटीएम के लिए स्थान अनुमोदित किया गया
3.	फूड कोर्ट	2000 वर्गफीट	2000 वर्गफीट
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	1000 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
5.	हाउसिंग या सर्विस अपार्टमेंट - आवासीय - सर्विस अपार्टमेंट, आवासीय क्षेत्र	200000 वर्गमीटर	अनुमोदित नहीं किया गया
6.	मनोरंजन की सुविधाएं - कामर्सियल / शॉपिंग मॉल जिसमें फूड कोर्ट आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं, मनोरंजन एवं मनोविनोद क्षेत्र, बैंकिंग,	400 वर्गमीटर	400 वर्गमीटर

	पुस्तकालय, कामर्सियल सह शॉपिंग क्षेत्र		
7.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	2000 वर्गमीटर	2000 वर्गमीटर
8.	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	5000 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर

(x) एमएडीसी द्वारा मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोलैंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xi) बेलगाम, कर्नाटक में प्रिसीजन इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्रइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे सारणी में उल्लेख के अनुसार विकासक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र के स्थान पर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा
1.	अतिथि गृह	1000	1000

(xii) पनवेल, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए गए बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियाँ को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	प्रसंस्करण क्षेत्र	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र	अनुमोदित मात्रा
1.	आवासीय आवास	--	200, 790 वर्गमीटर (लगभग 1500 यूनिट)	अनुमोदित नहीं किया गया
2.	मल्टीलेवल वाहन पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)	57,595 वर्गमीटर	55,813 वर्गमीटर	अनुमोदित नहीं किया गया
3.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	40 मेगावाट (10000 केवीए)	40 मेगावाट (4000 केवीए)	प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित किया गया
4.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	✓	--	प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया

5.	सभी गगनचुंबी भवनों में स्प्रिंकलर, फायर एवं स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर टेंडर, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम	✓	✓	प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित किया गया तथापि, विकास आयुक्त वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुमति प्रदान करें।
6.	प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली	✓	--	प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया
7.	स्वीमिंग पूल	--	800 वर्गमीटर	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया
8.	क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम तथा जिम, मनोरंजन क्षेत्र आदि सहित मनोरंजन की सुविधाएं	--	17,053 वर्गमीटर	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया
9.	खेल के मैदान	14.574 वर्गमीटर	44,985 वर्गमीटर	प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित किया गया
10.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	9,232 वर्गमीटर	--	प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया
11.	बस बे, परिवहन, परिवहन स्टैंड	✓	✓	प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित किया गया
12.	औजारों और उपकरणों के साथ प्राथमिक उपचार केन्द्र / डिस्पेंसरी	100 वर्गमीटर	--	प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया
13.	सुविधा प्रबंध कार्यालय	25 वर्गमीटर	25 वर्गमीटर	प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित किया गया
14.	पावर स्टेशन	----	6,900 वर्गमीटर	प्रस्ताव के अनुसार अनुमोदित किया गया
15.	टेलीफोन एक्सचेंज	360 वर्गमीटर	--	प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया
16.	वर्कर्स कैंटीन	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	प्रस्ताव के अनुसार

				अनुमोदित किया गया
17.	परियोजना कार्यालय	--	2000 वर्गमीटर	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया गया

(xiii) महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा जयपुर, राजस्थान में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड ने अधिकृत प्रचालनों के लिए 5 आवेदन प्रस्तुत किए हैं। जांच करने पर पाया गया कि अनेक प्रचालन ऐसे हैं जो डिफाल्ट प्रचालनों की श्रेणी में आते हैं और विकासक / सह विकासक ड्यूटी फ्री लाभ प्राप्त करने के लिए सीधे संबंधित विकास आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। अनुमोदन बोर्ड के लिए केवल उन्हीं मदों को शामिल किया गया है जिन्हें अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	बहिःस्त्रावी शोधन संयंत्र	2,000	2,000

(xiv) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियां :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	मल्टी पर्पज हॉल / ऑडिटोरियम	37,400	37,400

(xv) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई द्वारा महिंद्रा सिटी, चेन्नई में विकसित आईटी एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियां :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	बहिःस्त्रावी शोधन संयंत्र	500	500
2.	एंफीथिएटर	2,500	2,500

मद संख्या 35.9 सरकारी / रक्षा उपक्रम की डीटीए यूनिट से जॉब वर्क प्रोसेसिंग के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने हेतु मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड, बड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सुजलोन इंजीनियरिंग एसईजेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

राजस्व विभाग ने बताया कि इस समय एसईजेड नियमावली के अंतर्गत यह प्रस्ताव शामिल नहीं हो सकता है। तथापि, मिधानी की आवश्यकता के कारण प्रस्ताव की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध की अहमियत निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव का आकलन करने के लिए विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड से अनुरोध करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 35.10 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रत्येक मामले में वैधता अवधि की समाप्ति के बाद एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया :

(i) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड का अनुरोध

(ii) सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्राह्मणी इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) आंध्र प्रदेश में अपैरल एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) वेरना, गोवा में जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड के लिए 18 जून 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इनोक्स मर्केंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) वेरना, गोवा में रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए 26 जून 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लांटव्यू मर्केंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गोवा में जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पेनिनसुला फार्मा रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) ताडीपुडी गांव, तल्लापुडी मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, कोवूर के पास, आंध्र प्रदेश में प्रिंटिंग पेपर मिल के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स व्हाइट फील्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का अनुरोध

(x) बादशाहपुर गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 5 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(xi) मोजे कोबा, गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 30 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अक्वालाइन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 12 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कोंकोर्ड इनवेस्टमेंट का अनुरोध

(xiii) मोहाली, पंजाब में फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए 18 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज का अनुरोध

(xiv) सेदरपेट, करासुर, पांडिचेरी में बहु उत्पाद एसईजेड के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

(xv) हसन, कर्नाटक में टेक्सटाइल उद्योग एसईजेड के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xvi) हसन, कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xvii) हसन, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल उद्योग एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xviii) शिमोगा, कर्नाटक में आटोमोटिव और आटो कंपोनेंट के लिए 10 जुलाई 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xix) मंगलोर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 25 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xx) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 4 सितंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

(xxi) भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 24 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स असेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xxii) मोहाली, पंजाब में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 30 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xxiii) मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(xxiv) गोपनपल्ली गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेटास इंटरप्राइजेज एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xxv) खुर्दा, उड़ीसा में आईटी एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इडको का अनुरोध

(xxvi) कक्कनचेरी - मल्लापुरम, केरल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए 5 जुलाई 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

(xxvii) त्रिक्काकरा, एर्नाकुलम, केरल में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

(xxviii) पोलीपल्ली, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल फार्मुलेशन एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपिक) का अनुरोध

मद संख्या 35.11 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि विकासक ने 60.41 हेक्टेयर भूमि को शामिल करने के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ स्थित भूमि के क्षेत्रफल को भी हटा दिया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सन्निकटता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की। तथापि, अधिसूचना से पूर्व विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को सन्निकटता, रिक्ति तथा भारग्रस्तता मुक्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड से 07.75.78 हेक्टेयर भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि सन्निकटता को बनाए रखना होगा तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि विकासक ने सभी कर / ड्यूटी लाभ, जो एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत प्राप्त किए गए हो सकते हैं, लौटा दिए हैं।

(iii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एमएडीसी का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एमएडीसी अपने एसईजेड के लिए भूमि की आवश्यकताओं में बार बार परिवर्तन कर रहा है। अनुमोदन बोर्ड ने सुझाव दिया कि प्रस्ताव पर विचार किए जाने से पूर्व

एमएडीसी अपने प्रस्ताव को पक्का करे। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.12 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) पनवेल, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

(ii) गुंडला पोचमपल्ली गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक सेक्टर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेटास वेंचर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने गुंडला पोचमपल्ली गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक सेक्टर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेटास वेंचर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने 31, 46,550 रुपए के सेवा कर छूट सहित एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं। अनुमोदन बोर्ड उक्त सेवा कर वापस करने से छूट प्रदान करने के लिए विकासक के अनुरोध से सहमत नहीं हुआ।

मद संख्या 35.13 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) शिमोगा, कर्नाटक में सेक्टर को आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट से बदलकर इंजीनियरिंग उद्योग करने के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने शिमोगा, कर्नाटक में सेक्टर को आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट से बदलकर इंजीनियरिंग उद्योग करने के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सेक्टर की "आईटी / आईटीईएस" से "आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर" के रूप में ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.14 : सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए मैसर्स पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सेडारपेट, कारासुर, पांडिचेरी में बहु उत्पाद एसईजेड में एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 7 के उप नियम 2 के अनुसार सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स पांडिचेरी स्पेशनल इकोनॉमिक जोन कंपनी लिमिटेड के अनुरोध को निम्नलिखित शर्तों के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

(i) विकासक समर्पित सिक्योरिटी गेट / ओवरब्रिज / अंडरपास द्वारा सन्निकटता स्थापित करेगा और इसके द्वारा सुनिश्चित करेगा कि इन आम रास्तों से एसईजेड में कोई अनधिकृत प्रवेश संभव न हो और संशोधन दिनांक 16 मार्च 2007 से पूर्व एसईजेड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सड़क के दोनों ओर 2.4 मीटर ऊंची वाल / चेन लिंक फेंसिंग तथा 0.6 मीटर कटीले तार की फेंसिंग के साथ फेंसिंग भी करेगा।

(ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) किसी एसईजेड यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं।

मद संख्या 35.15 : आपातकालीन निकास द्वार के लिए अनुरोध

(i) विलायत, जीआईडीसी, भड़ूच, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कैप्टिव पावर प्लांट से अनन्य रूप से कोयले की प्राप्ति (आवक) और उड़न राख के निस्तारण (जावक) के लिए आपातकालीन निकास द्वार के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने विलायत, जीआईडीसी, भड़ूच, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कैप्टिव पावर प्लांट से अनन्य रूप से कोयले की प्राप्ति (आवक) और उड़न राख के निस्तारण (जावक) के लिए आपातकालीन निकास द्वार के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.16 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाना

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि की समाप्ति के बाद दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए नीचे उल्लिखित 4 मामलों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन
i.	मैसर्स ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग जोन प्राइवेट	80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

	लिमिटेड (जीएनआईडब्ल्यूज़ेड)	एफटीडब्ल्यूज़ेड	
ii.	मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंटीग्रेटेड स्टील एसईजेड	खोपोली, तालुक खालापुर, रायगड जिला, महाराष्ट्र
iii.	मैसर्स बंगाल श्री इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटो कंपोनेंट	खड़गपुर, पश्चिम बंगाल
iv.	इंडियाबुल्स बिल्डर्स लिमिटेड	2429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद	थाणे जिला, महराष्ट्र

जहां तक तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 5 मामलों का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इन सभी 5 मामलों में सामान्य कारक यह है कि विभिन्न स्तरों पर भूमि के अधिग्रहण में विलंब हुआ है। विकासक को इस शर्त के अधीन विस्तार प्रदान किया जा सकता है कि राज्य सरकार को विस्तार प्रदान करने पर कोई आपत्ति न हो तथा वे नया फार्म 'ए' भरें ताकि अब तक उठाए गए कदम वैध बना रहे और अनुमोदन आभासिक नए अनुमोदन का लाभ भी प्राप्त कर सके। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल की अवधि के लिए तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एसपीएल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड के मामले को मंजूरी प्रदान की। शेष मामलों में, चूंकि न तो राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और न ही उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे, इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने (i) से (iv) में सूचीबद्ध निम्नलिखित 4 मामलों को आस्थगित करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**विकासक का नाम**	**सेक्टर और क्षेत्र**	**एसईजेड का लोकेशन**	**निर्णय**
i.	मैसर्स छत्तीसगढ़ इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण	रायपुर, छत्तीसगढ़	आस्थगित कर दिया गया
ii.	रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल)	5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद	गुड़गांव, हरियाणा	आस्थगित कर दिया गया
iii.	सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर	202 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाइटेक	उडुपी, कर्नाटक	आस्थगित कर दिया गया

	लिमिटेड	इंजीनियरिंग उत्पाद तथा संबंधित सेवाएं		
iv.	आरएनबी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	107.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल क्षेत्र	कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु	आस्थगित कर दिया गया
v.	एसपीएल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्लास्टिक प्रसंस्करण	रायगढ़, महाराष्ट्र	राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र से अवगत कराया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.17 : अनुमोदन को वापस लेना

(i) पढ्ढार गांव, भुज तहसील, कच्छ जिला, गुजरात में "सभी प्रयोजनों के लिए तथा परिवहन उद्योग के लिए टायर एवं ट्यूब का निर्माण सहित परिवहन इंजीनियरिंग माल" के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एसपीजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स एसपीजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अनुरोध को मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) मोती चिराई, जीजीडीसीएल एस्टेट, मोती चिराई गांव, जिला कच्छ में हस्तशिल्प एवं कारीगरी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए गुजरात ग्रोथ सेंटर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

विकासक द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

(iii) मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंज़ूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.18 : डिफेक्टिव जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की रिपेयर / री-इंजीनियरिंग / री-मेकिंग को शामिल करने हेतु एलओए में संशोधन के संबंध में विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि मैसर्स हैंसेन ड्राइव के समान मामले में अनुमोदन बोर्ड ने दोषपूर्ण गियर बॉक्स की मरम्मत / रि-इंजीनियरिंग / रि-मेकिंग के लिए मंजूरी प्रदान की है क्योंकि ये हाइटेक उत्पाद हैं। यहां भी यही नीति अपनाई जा सकती है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स हैंसेन ड्राइव के प्रस्ताव के मामले में निर्धारित शर्तों पर दोषपूर्ण जनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रि-इंजीनियरिंग / रि-मेकिंग को शामिल करने के लिए मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रदान किए गए एलओए में संशोधन के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने केवल मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा या उसकी मूल कंपनी द्वारा, न कि किसी अन्य तीसरे पक्ष - भारतीय या विदेशी द्वारा निर्मित मदों के संबंध में मरम्मत तथा रि-इंजीनियरिंग की गतिविधियों को शामिल करने का निर्णय लिया। मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दोषपूर्ण जनरेटर / कंट्रोल पैनल की मरम्मत / रि-इंजीनियरिंग / रि-मेकिंग के मामले में मरम्मत किए गए / रि-इंजीनियर किए गए / पुनर्निमित किए गए दोषपूर्ण जनरेटर / कंट्रोल पैनल पर ड्यूटी की देयता निर्मित कंट्रोल पैनल पर देयता के समान होगी जब वे एसईजेड अधिनियम की धारा 30 के अनुसार डीटीए से हटाए जाएंगे।

मद संख्या 35.19 : फाल्टा एसईजेड से कांडला एसईजेड में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल का अनुरोध

यूनिट द्वारा अनुरोध वापस ले लिया गया।

मद संख्या 35.20 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डस्टार जूलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट ने एलओए की समाप्ति से पूर्व पूंजी माल के पुन: निर्यात के लिए आवेदन किया है। एसईजेड नियमावली के नियम 34 के अनुसार जो यूनिट आयातित माल का उपयोग करने में समर्थ नहीं होती है वह माल का निर्यात कर सकती है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 6 माह की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया ताकि यूनिट पूंजी माल का पुन: निर्यात कर सके। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि इस प्रयोजनार्थ अब कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सुखी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने केवल एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अलग से निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग इस संबंध में नीति तैयार करेगा।

(iii) मौजूदा एलओए में यादृच्छिक आकारों के देशज स्रोत से चंदन के लट्ठे से निर्मित चंदन तेल, 50 ग्राम के चंदन चिप को शामिल करते हुए विनिर्माण की मदों की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स साईं ललित फ्रैगरेंस, एमईपीजेड एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि फर्म देशज स्रोतों से खरीदे गए सैंडलवुड से मशीन फिनिश्ड सैंडलवुड चिप, डस्ट एवं पाउडर का निर्माण करने के लिए देशज स्रोतों से खरीदे गए सैंडलवुड ऑयल के निर्माण एवं निर्यात के लिए अपनी मौजूदा गतिविधियों की ब्राड बैंडिंग करना चाहती है। इसके अलावा, फर्म सैंडलवुड चिप, डस्ट तथा सैंडलवुड ऑयल के निर्यात के लिए सैंडलवुड के लॉग और रूट का आयात भी करना चाहती है। सैंडलवुड के लॉग के आयात पर डीजीएफटी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और फर्म ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। डीजीएफटी अधिसूचना द्वारा सैंडलवुड ऑयल का निर्यात अनुमत नहीं है। तथापि, देशज स्रोतों से खरीदे गए सैंडलवुड से निर्मित सैंडलवुड ऑयल के निर्यात के लिए फर्म को एलओपी जारी किया गया है। अनुमोदन बोर्ड की जानकारी में लाया गया कि फर्म ने खुली नीलामी में तमिलनाडु वन विभाग से सैंडलवुड खरीदा है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने देशज स्रोतों से खरीदे गए सैंडलवुड से मशीन फिनिश्ड सैंडलवुड चिप डस्ट और पाउडर के निर्माण के लिए ब्राड बैंडिंग को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड प्रापण के स्रोत को प्रमाणित करेंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि फर्म द्वारा किसी कोंट्राबैंड सैंडलवुड का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंतिम उत्पादों के लिए प्रयुक्त कच्चे माल की प्रकृति को देखते हुए फर्म से इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। जहां तक सैंडलवुड के लॉग के आयात और आयातित सैंडलवुड से निर्मित उत्पादों के निर्यात का संबंध है, यह मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।

(iv) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कीने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि अपीलीय समिति ने संपूर्ण मुद्दे का संज्ञान लिया है और भूतलक्षी प्रभाव से एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मामले को अनुमोदन बोर्ड के पास वापस भेजा है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स कीन इंडिया लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, के एलओए की वैधता अवधि भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.21 : रिपेयर और पुन: निर्यात के लिए विदेशी सहयोगियों से ज्वैलरी के आयात अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स यस ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड, एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिट के मामले में स्पष्टीकरण के लिए एसईईपीजेड एसईजेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्लेन तथा स्टडेड गोल्ड / प्लेटिनम / सिल्वर / पलैडियम ज्वैलरी के निर्माण और निर्यात के लिए मैसर्स यस ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड, एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिट को एलओए जारी किया गया। यूनिट ने 01 जून 2007 को उत्पादन शुरू किया। यूनिट ने रिपेयर और पुन: निर्यात के लिए विदेशी सहयोगियों से ज्वैलरी का आयात करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। जोन ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या एसईजेड अधिनियम की धारा 2 (आर) के अनुसार 'विनिर्माण' के तहत मरम्मत को शामिल समझा जा सकता है और क्या अन्यत्र निर्मित फर्निश्ड उत्पादों का आयात एवं मरम्मत एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत अनुमत है - एसईईपीजेड एसईजेड ने स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने स्पष्ट करने का निर्णय लिया कि एसईजेड अधिनियम की धारा 2 (आर) के अनुसार 'विनिर्माण' के तहत मरम्मत को शामिल समझा जा सकता है और अन्यत्र निर्मित फर्निश्ड उत्पादों का आयात एवं मरम्मत एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत अनुमत है।

मद संख्या 35.22 : टूटे - फूटे / प्रयुक्त पुनर्चक्रणीय उत्पाद मिश्रण असेसरीज अर्थात बेल्ट, पर्स, बैकपैक, साफ्ट टॉय, हार्ड टॉय को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, केएएसईजेड को यूनिट द्वारा किए गए भौतिक निर्यात के मुद्दे की जांच करने का निदेश दिया। अनुमोदन तद्नुसार बोर्ड ने टूटे-फूटे / प्रयुक्त पुनर्चक्रणीय उत्पाद मिश्रण असेसरीज अर्थात बेल्ट, पर्स, बैकपैक, साफ्ट टॉय, हार्ड टॉय को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स के अनुरोध को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 35.23 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अपने बहु उत्पाद एसईजेड में 4 स्थायी और 7 अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया।